

१/३/२१

थह प्रा.प्रा. प्रार्थी मय वकील उपस्थित होकर उत्तर्गत धारा 151 भा. दी. पेश किया। प्रार्थी के वकील की एकपक्षीय धरस बावत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे पथम दृष्टतया प्रकरण एवं सुविधा का सतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रकृत होता है। प्रकरण दर्ज रजि. किया जावे। उभयपक्षकारान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक २३/३/२१ तक विवादित आ.ख.नं. 3540/0.13, 3541/0.05 बंके ग्राम कुथवाज - I तह. पहाड़ी पर रामस्व रिपोर्ट एवं मौके की यथास्थिति बनार रखें। इस आता के जारी रहने में कोई आपत्ति हो तो दि. 23/3/21 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दि. २३/३/२१ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

२३/३/२१

प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी उप. नहीं। बार-2 आवाज दिलाई गई। क्लिंक कोई उप. नहीं आया। न्युंठि मूल प्रा.प्रा. अदम हाजिरी एवं अदम चैरवी में खारिज हो चुका है। इसलिये प्रा.प्रा. सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी T.I. खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)